

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.  
राजस्व वादपत्र संख्या :- 2019/00094

1. मांगी पुत्री रामूराम पत्नी देवीलाल जाति मेघवाल निवासी बीकानेर हाल आबाद चक 2 के. वाई. डी. तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
2. करणाराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी पाबूवारी के बाहर अम्बेडकर चौक बीकानेर हाल आबाद चक 2 के. वाई. डी. तहः खाजूवाला जिला बीकानेर। ।
3. कालूराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी पाबूवारी के बाहर अम्बेडकर चौक बीकानेर हाल आबाद चक 2 के. वाई. डी. तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट**

**निर्णय**

**दिनांक :-01.12.2022**

यह प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थीया के पिता रामूराम के नाम चक 2 के वाई डी का मु0नं0 216/2 के कि. न. 1 में 18 बिस्वा, 2 ता 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 ता 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, 21 में 18 बिस्वा, 22 ता 25 सालम कुल 24.10 बीघा कमाण्ड रकबा खातेदारी दर्ज था। प्रार्थीया के पिता रामूराम का देहान्त हो गया। प्रार्थीया के पिता के देहान्त के बाद हल्का पटवारी द्वारा पुछताछ कर बिना दस्तावेजों की जाँच किये उक्त रकबा का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीया का नाम भागली पुत्री रामूराम है, जिसे प्रार्थीया दुरुस्त कर प्रार्थीया का नाम मांगी पुत्री रामूराम दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया की शादी से पूर्व प्रार्थीया के समस्त दस्तावेज मांगी पुत्री रामूराम बने हुए हैं, तथा प्रार्थीया की शादी के बाद प्रार्थीया के तमाम दस्तावेज मांगी पत्नी देवीलाल के नाम से बने हुए हैं। प्रार्थीया अपने नाम को दुरुस्त करवाकर मांगी पुत्री रामूराम दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के नाम रकबा चक 2 के.वाई.डी. का मु.न. 216/02 का कि.न. 1 ता 25 कुल 24.10 बीघा तादादी रकबा में प्रार्थीया का नाम दुरुस्त कर मांगी पुत्री रामूराम अंकन करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया के सहखातेदारान मुताबिक जमाबंदी कालूराम व करणाराम को हितबद्ध पक्षकारान के रूप में अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के रूप में संयोजित कर रजि0ए0डी0 तलवी करवाकर डाक विभाग की रसीद पेश की गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड चक 2 के वाई डी के मु0नं0 216/2 कि0नं0 1 ता 25 तादादी 6.1960 है0 कमाण्ड भूमि कालूराम पुत्र रामूराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा0 पाबूवारी के बाहर अम्बेडकर चौक बीकानेर हाल 2 के वाई डी तह0 खाजूवाला खातेदार रहन पीएनबी शाखा 2 के एल डी(365 हैड) व भागली पुत्री रामूराम हिस्सा 1/4 व राकेश कुमार पुत्र करणाराम हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा0 पाबूवारी के बाहर अम्बेडकर चौक बीकानेर हाल 2 के वाई डी तह0 खाजूवाला खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि चक 2 के.वाई.डी. में नामा0 सं0 8 विरासतन नामान्तरण में कालूराम, करणाराम पि0 रामूराम व भागली पुत्री रामूराम, रेवन्ती बेवा रामूराम जाति मेघवाल सा0

बीकानेर दर्ज हैं पटवारी रिपोर्ट अनुसार रिकॉर्ड में किसी प्रकार का स्थगन विवाद नहीं है तथा मौके पर कब्जा काश्त चल रही है। प्रार्थीया द्वारा फॉर्म नं0 3 के साथ जमाबन्दी, इन्तकाल सं. 8 व 36, स्वयं का शपथ पत्र, पार्षद वार्ड नं0 10 व पार्षद नगर निगम वार्ड सं0— 47 का अनुशंषा पत्र, बीकानेर, आधार कार्ड, पहचान, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादी दस्तावेज पेश कर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भागली पुत्री रामूराम की जगह मांगी पुत्री रामूराम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र धारा धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीया की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भागली पुत्री रामूराम की जगह मांगी पुत्री रामूराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,  
(खाजूवाला)